



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
Central Board of Secondary Education
संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0



Contact Us

Grant Letter for: EX-03512-1920

Dated: 05/10/2020

NO : CBSE/AFF/1730647 /EX-03512-1920/2019-20/

The Manager,
Arya Public School
Block A, Malviya Nagar
RAJASTHAN, ALWAR, 301001
(M: 2703408,)

Sub: Extension of General Affiliation up to Secondary/Senior Secondary Level - regarding
Ref: Application No. EX-03512-1920

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the approval for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No : 1730647
Affiliated for : Senior Secondary
Category : Extension of General Affiliation
Period of Extension of : 01.04.2019 to 31.03.2024

In view of current COVID-19 pandemic which has most severely affected the normal functioning of schools in the country, however, the school is pursuing to provide extension of affiliation so as to avoid any difficulty for the purpose of admission /registration/ obtaining loan/renewal of various safety certificates from appropriate state authorities.

Therefore, the competent authority of the Board after due consideration has accorded approval for extension of Affiliation based on details/data submitted by school in online application for a further period of 5 years subject to fulfilment of following conditions:

- The school will follow the **RTE Act, 2009** and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- The School is required to apply on online for further extension of affiliation along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws, 2018.
- The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned as mentioned in certificate as per appendix III issued by District Education Officer (DEO) /equivalent officer
- The school should ensure the strong governance and management of its activities in way of comprehensive and quantifiable planning in way of curriculum planning, infrastructure, resources, physical education, staff development and other co-curricular areas.
- The school should go through the provision of **Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there of** for reference purpose and also advised to visit CBSE websites i.e. <http://cbseacademic.nic.in/> & <http://cbse.nic.in/> for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites regularly.
- The school will strictly adhere to all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students. The school will ensure that Fire, Building, health and sanitation and safe drinking water certificates are renewed from time to time, as per norms.
- Admission to the school** is to be restricted as per relevant rules of Examination Bye-laws and rule 2.4.5, 2.6.5, 7.1, 7.2, 8.4.2, 8.4.10 & other relevant rules of Affiliation bye laws.
- The school is required to follow rule No.2.4.7 and 2.4.8 of Affiliation Bye Laws regarding Books and Quality of Education.
- The number of sections may be restricted as per the Appendix V of the Affiliation Bye-Laws of the Board. For increase in number of sections, the School shall apply online to the Board as per rule 15.7 of Affiliation Bye laws.
- The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity related to running of school affiliated to CBSE. The school shall also be liable to bear all legal charges incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances.
- The school must strive to promote conservation of environment on their campus through rain water harvesting, segregation of waste at source, recycling of organic waste, proper disposal of waste including electronic waste, use of energy saving and energy efficient electrical equipment, greening of campus, use of solar energy, education and awareness amongst children on environment conservation and cleanliness etc
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS) as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on Board's website: www.cbse.nic.in
- The optimum Section teacher ratio of 1:1.5 as well as student teacher ratio of 30:1 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint qualified and trained teaching staff on regular basis as per provisions of Affiliation Bye Laws of the Board.
- Every affiliated school shall sponsor regularly its bonafide and eligible students in Boards Class X and Class XII examinations from the year mentioned while granting affiliation/up-gradation regularly without break or inform with reasons thereof in writing well in time about the non-sponsoring of the candidates.
- Running of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not permitted by the Board. Strict action would be taken on defaulters.
- The Manager and the Principal of the school shall be jointly responsible for the authenticity of the online/offline documents/information/data submitted by the School to the Board.
- Apart from rules to be adhered to by the school as mentioned above for drawing specific attention of the school authorities, the school authorities are required to acquaint themselves with all the rules contained in Affiliation & Examination Bye-laws and circulars/guidelines/notification issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBSE

Attested by
Principal
Arya Public School

18. The genuineness of information / documents / data submitted shall be of school and in case, if found otherwise the school shall invite action as per affiliation Bye laws-2018
19. The school shall be responsible for submission of any pending compliance, reply of show case /legal notice/ complaint and for submission of date/information sought by the Board. The extension of 05 years shall be from the date of cessation of previous validity of extension of affiliation
20. The school is required to remit pending fee, if any
21. The extension of affiliation is being granted as one time measure. However, the cases where the Show Cause Notice was communicated or grievance / legal cases are pending against the school, the Board will take appropriate decision in this matter
22. The school shall renew all mandatory safety certificate i.e Safe Drinking Water & Health and Hygiene certificate, Fire Safety Certificate and Building Safety Certificate from concerned Govt authorities time to time
23. The school shall also maintain record of certificate, compliances, data and other records/information and shall be fully responsible to produce all such records before Board and appropriate Government Authorities when asked for, failing which necessary action shall be taken as per Affiliation-Bye-Laws of the Board. The school shall also be liable for action by the appropriate Govt., in case of violation / non-compliance of the concerned Govt. norms
24. The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.

Deputy Secretary/ Joint Secretary(Affiliation)

This is a computer-generated document. No signature is required.

Attested by

Danish
Principal
Public School

A1

3A

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES.

ACT XXI OF 1860. No 190/1956-57

I hereby certify that ARYA KANYA VIDHAYALA
SAMITI, ALWAR.

has this day been registered under the Societies
Registration Act, XXI of 1860.

Given under my hand at JAIPUR
this TWENTY SIXTH day of NOVEMBER
One thousand nine hundred and FIFTY SIX.

A. R. Khare

(A. R. KHARE)
Registrar of Companies.

सत्य-प्रतिपत्ति

प्रमाणित

निदेशक

आर्य कन्या विद्यालय समिति
अलवर (राज०)

Attested by

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिक्षा/मा. / माध्यमिक/अ-4/केमाशिवो/2012-13

दिनांक: 30-07-2012

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केंद्र-2 सामुदायिक क्षेत्र
प्रीत विहार, दिल्ली-1100092

विषय :- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के पत्रांक प-14(8) शिक्षा-1/2009 मार्ट-ग जयपुर दिनांक 30.07.2012 की पालना में निम्नांकित विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र एवं माध्यम के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावेगी तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं विमाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है व परिणामस्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सम्बद्धता	सत्र	माध्यम
1.	महाराजा पब्लिक स्कूल, हाजसिंग बोर्ड, मसूदा रोड, ब्यावर (अजमेर)	CBSE	2012-13	माध्यम
2.	पी०आर०जे० जातजया स्कूल, ब्यावर (अजमेर)	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
3.	ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, चतरपुरा, बानसर (अलवर)	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
4.	वेदाज्ञा गुरुकुल पब्लिक स्कूल, शीगास (सीकर)	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
5.	आर्य पब्लिक स्कूल, हसन रॉय, मेवाती नगर, अलवर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
6.	सत्य लक्ष्य यूरो वल्ड स्कूल, एकता कॉलोनी, श्री गंगानगर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी

Attested by

Principal
Arya Public School
Malviya Nagar, Alwar

7.	कैम्ब्रीज कॉन्वेंट स्कूल, सरदार शहर, (चुरु)	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
8.	ओक्सफोर्ड इन्टरनेशनल स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
9.	भगत पब्लिक सी0 से0 स्कूल, आलनिया, झालावाड़ रोड, कोटा	CBSE	2012-13	हिन्दी
10.	आलोक स्कूल सूरजपोल, चित्तोड़गढ़	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
11.	बगड़िया पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़, सीकर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
12.	प0 परसादी लाल इन्टरनेशनल स्कूल, भरतपुर रोड, डींग, भरतपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
13.	होली हाइट्स कॉन्वेंट स्कूल, नंदबई, भरतपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
14.	ज्योति विद्यापीठ, बगड़, झुझुनू	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
15.	जेम्स गुरुकुल इन्टरनेशनल स्कूल, नवलगढ़, झुझुनू	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
16.	सर्वोदय पब्लिक स्कूल, बुढाना, झुझुनू	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
17.	लक्ष्मी देवी मन्दड़ा पब्लिक स्कूल, ई सेक्टर प्रताप नगर, जोधपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
18.	समन्वय इन्टरनेशनल स्कूल सी-5 झालामण्ड हाउस, हाई कोर्ट कॉलोनी जोधपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
19.	ऑरेंज काउन्टी स्कूल, रिको इन्डस्ट्रीयल एरिया, राजसमन्त	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
20.	युगान्तर इन्टरनेशनल स्कूल राजीव विहार, राजपथ न्यू सांगानेर रोड जयपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
21.	आर्य पब्लिक स्कूल, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
22.	ओ गि पब्लिक स्कूल, मालवीय नगर, अलवर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
23.	स्पैंगल पब्लिक स्कूल, एगो फूड पार्क रोड, श्रीगंगानगर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
24.	संत तरेसा स्कूल दोहरा गणेशजी उदयपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
25.	तुलसी अमृत एकेडमी स.प्र.वि, कानोड उदयपुर	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
26.	नियोवेली इन्टरनेशनल स्कूल घावण्ड	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
27.	अकलंक डे बोर्डिंग कम रेजिडेन्सियल स्कूल, मंडाना, लाडपुरा, कोटा	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
28.	एजिस इन्टरनेशनल स्कूल, दोरासर (झुझुनू)	CBSE	2012-13	अंग्रेजी
29.	रुबी चिल्ड्र सी0 सेकण्डरी स्कूल, बोरखण्डी, कोटा	CBSE	2012-13	हिन्दी

32	चत्वार विद्यालय मन्दि, बय जिला नरक	CBSE	2012-13	मन्दि
33	द विजन ऐकेडमी, (ए यूनिट ऑफ नारक)	CBSE	2012-13	मन्दि
	वी) सदयपुर			

(हर सहमति)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, सचिवालय जयपुर।
4. उपशासन सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
7. सिस्टम एनेलिस्ट-कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निवेदन है कि इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करवाने का कष्ट करें।
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय)
9. संबंधित विद्यालय

(हर सहमति)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

अध्य-प्रतिलिपि

ATTESTED

निदेशक

आर्यकन्या विद्यालय, स
अलवर (राज.)

E:\c data\New Folder\Sec-A-4\CBSE - NOC(2)-2012-13.doc

ARYA PUBLIC SCHOOL
Malviya Nagar, ALWAR-301001
C.B.S.E., Affiliation No.1730647
School Code No.16500

(B-9)

(2A)

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक प्रथम अलवर (राज.)

संख्याक:- 782

दिनांक:- 30/12/15

प्रबन्धक,
आर्य पब्लिक स्कूल,
मालवीय नगर, अलवर ।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 31/12/15 के आवेदन (प्रारूप 1 स्वघोषणा पत्र) और इस संबंध में विद्यालय के साथ पाश्चात्तर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं आर्य पब्लिक स्कूल मालवीय नगर, अलवर

(विद्यालय का नमा पते सहित) को कक्षा I से कक्षा VIII तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणी नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ौस के कमजारे वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तर्वर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-

E:\manyta rte 31-01-16.doc

Attested by

Principal
 Arya Public School
 Malviya Nagar, Alwar

ARYA PUBLIC SCHOOL
 Malviya Nagar, ALWAR-301001
 C.B.S.E., Affiliation No. 1730647
 School Code No. 16500

Malviya Nagar, Alwar

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्का नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
5. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवष्कता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ ही जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास स अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रविवेदन की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरों की संख्या
प्रधानाध्यापक- सह-कार्यालय-सह-भण्डार कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पूथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड - डे - मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुँच

उपलब्धता

11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
12. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

2

Attested by
[Signature]

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या, किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..... 782 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अलवर द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
19. प्रत्येक सत्र का भवन सुरक्षा बनवाया जावे जिसकी प्रति कार्यालय में जमा करावे।
20. विद्यालय भवन /स्थान/नाम में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के परिवर्तन नहीं किया जावे।
21. कक्षाएं वर्षवार क्रमोन्नति की जावे।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक प्रथम अलवर

Attested by

Principal

Arya Public School
Malviya Nagar, Alwar

ARYA PUBLIC SCHOOL
Malviya Nagar, ALWAR-301001
C.B.S.E., Affiliation No. 1730647
School Code No. 1F550

FIRE SAFETY CERTIFICATE

NO. 6317

Dated: 16.7.19

Certified that the Arya Public School (name of the building or premises) at A-block, Malviya Nagar (address) comprised of X basement(s) and two (upper floors) owned / occupied by Arya Public School, Malviya Nagar (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 15.7.19 (date of inspection) in the presence of Mrs. Nandini Jain (name and address of the Manager / Secretary or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy class LKG - XII with effect from 16.7.19 for a period of one years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 16.7.19 at Nagar Parishad

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal :

Name

Designation

[Signature]
आर्यक अग्निसेवा अधिकारी
आर्यक अग्निसेवा (राज)
Asst. fire officer

To

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to
.....
..... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

[Signature]

Attested by
[Signature]
Principal
Arya Public School
Malviya Nagar, Alwar

कार्यालय नगर परिषद, अलवर (राजस्थान)

क्रमांक:- फायर/2018/6317

दिनांक:- 16/7/19

सेपटी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स, आर्य पब्लिक स्कूल एलएच मालवीय नगर अलवर का मौका निरीक्षण दिनांक 15/7/19 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया गया। स्कूल परिसर में 15 एम्प्टी गैस टैंक 5 फीट के फायर एक्सटिंग्यूशर लगे हुए हैं। चैक किये गये सभी उपकरण सुरक्षा की दृष्टि से सही पाये गये।

यह प्रमाण-पत्र प्रिंसिपल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11/7/19 के आधार पर जारी किया जाता है।

मुख्य अग्निसेमन अधिकारी
नगर परिषद अलवर

Principal
Arya Public School
Malviya Nagar, Alwar

कार्यालय नगर परिषद अलवर (राज0)

क्रमांक :- जन.स्वास्थ्य/2019/ 6445

दिनांक :- 16/...../...../2019

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आर्य पब्लिक स्कूल मालवीय नगर अलवर, परिसर सन्तोषजनक रूप से स्वच्छ है, कमरे हवादार व रोशनी युक्त है पेयजल व शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध एवं स्वच्छ है।

स्कूल लैब में ए.बी.सी टाईम अग्निशमन संयंत्र सही स्थिति में लगे हुए पाये गये हैं।

(फतेह सिंह मीणा)

आयुक्त

नगर परिषद अलवर

Attested by

[Signature]

Principal

Arya Public School

आर्य कन्या विद्यालय समिति, अलवर

चुलनात्मक सूची

रजि. 190/1956-57

पूर्व प्रबन्ध समिति(कार्यकारिणी) पदाधिकारी मण्डल का पुनर्गठन दिनांक 31.01.2018

वर्तमान प्रबन्ध समिति(कार्यकारिणी) चुनाव दिनांक 17.03.2019

नाम सदस्य	पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय	नाम सदस्य	पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट	श्री नारायण सहाय	प्रधान	1/681, काला कुआँ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	वकालत	1 श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट	श्री नारायण सहाय	प्रधान	1/681, काला कुआँ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	वकालत
2 श्री अशोक कुमार आर्य	श्री छोदू सिंह आर्य	उप प्रधान	आर्य भवन, अशोक सर्किल, अलवर	व्यापार	2 श्री अशोक कुमार आर्य	श्री छोदू सिंह आर्य	उप प्रधान	आर्य भवन, अशोक सर्किल, अलवर	व्यापार
3 श्री प्रदीप कुमार आर्य, एडवोकेट	श्री छोदू सिंह आर्य	मंत्री	आर्य भवन, अशोक सर्किल, अलवर	वकालत	3 श्री प्रदीप कुमार आर्य, एडवोकेट	श्री छोदू सिंह आर्य	मंत्री	आर्य भवन, अशोक सर्किल, अलवर	वकालत
4 इंजि. सुरेश कुमार दरगन	श्री ठाकुर दास दरगन	संयुक्त मंत्री	7-ए, मनुमार्ग रोड, अलवर	से.नि.अधि.अ.वि. सार्वजनिक कार्य	4 इंजि. सुरेश कुमार दरगन	श्री ठाकुर दास दरगन	संयुक्त मंत्री	7-ए, मनुमार्ग रोड, अलवर	से.नि.अधि.अ.वि. सार्वजनिक कार्य
5 श्री प्रद्युम्न कुमार गर्ग, एडवोकेट	श्री नन्नी लाल गर्ग	कोषाध्यक्ष	18, विकास पथ, अलवर	वकालत	5 श्री प्रद्युम्न कुमार गर्ग, एडवोकेट	श्री नन्नी लाल गर्ग	कोषाध्यक्ष	18, विकास पथ, अलवर	वकालत
6 श्रीमती कमला शर्मा	श्री शम्भू दत्त शास्त्री	निदेशक	77, पंचवटी, स्क्रीम नं. 7, अलवर	प्रशासनिक कार्य	6 श्रीमती कमला शर्मा	श्री शम्भू दत्त शास्त्री	निदेशक	77, पंचवटी, स्क्रीम नं. 7, अलवर	प्रशासनिक कार्य
7 कै. रघुनाथ सिंह	श्री नन्द लाल	सदस्य	अशोका 50, ए.जी.ग्रिन्स, तिजारा रोड, अलवर	सार्वजनिक कार्य	7 कै. रघुनाथ सिंह	श्री नन्द लाल	सदस्य	अशोका 50, ए.जी. ग्रिन्स, तिजारा रोड, अलवर	सार्वजनिक कार्य
8 श्री छबील दास पावा	श्री मुकन्द राम पावा	सदस्य	54, लाजपत नगर, स्क्रीम नं. 2, अलवर	व्यापार	8 श्री छबील दास पावा	श्री मुकन्द राम पावा	सदस्य	54, लाजपत नगर, स्क्रीम नं. 2, अलवर	व्यापार
9 डॉ. राजेन्द्र कुमार आर्य	श्री गणेशी लाल	सदस्य	4/470, काला कुआँ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	से.नि.शिकित्सक सार्वजनिक कार्य	9 डॉ. राजेन्द्र कुमार आर्य	श्री गणेशी लाल	सदस्य	4/470, काला कुआँ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	से.नि.शिकित्सक सार्वजनिक कार्य
10 श्रीमती शशी भार्गव	श्री राम दयाल भार्गव	सदस्य	कैलाश कुंज, अशोक सर्किल, अलवर	सार्वजनिक कार्य	10 श्रीमती शशी भार्गव	श्री राम दयाल भार्गव	सदस्य	कैलाश कुंज, अशोक सर्किल, अलवर	सार्वजनिक कार्य
11 श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना	श्री विद्या सागर शास्त्री	सदस्य	64, आर्य नगर, स्क्रीम नं. 1, अलवर	सार्वजनिक कार्य	11 श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना	श्री विद्या सागर शास्त्री	सदस्य	64, आर्य नगर, स्क्रीम नं. 1, अलवर	सार्वजनिक कार्य
12 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा (अभिभावक प्रतिनिधि)	श्री हजारी लाल शर्मा	सदस्य	S/O माता श्यामा देवी, नरसिंह जी के मन्दिर के पास, मौ. हरबक्स, होली ऊपर, अलवर	से.नि.राज.कर्म सार्वजनिक कार्य	12 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा (अभिभावक प्रतिनिधि)	श्री हजारी लाल शर्मा	सदस्य	S/O माता श्यामा देवी, नरसिंह जी के मन्दिर के पास, मौ. हरबक्स, होली ऊपर, अलवर	से.नि.राज.कर्म सार्वजनिक कार्य
13 श्रीमती कुमकुम रुस्तगी (पूर्व छात्रा प्रतिनिधि)	श्री कन्हैया लाल डाटा	सदस्य	महावर छात्रावास के पास, अशोक सर्किल, अलवर	सार्वजनिक कार्य	13 श्रीमती कुमकुम रुस्तगी (पूर्व छात्रा प्रतिनिधि)	श्री कन्हैया लाल डाटा	सदस्य	महावर छात्रावास के पास, अशोक सर्किल, अलवर	सार्वजनिक कार्य
14 श्रीमती शशी बाला भार्गव (शिक्षक प्रतिनिधि)	श्री राधा रमन भार्गव	सदस्य	66, साउथ वेस्ट ब्लॉक, अलवर	अध्यापन कार्य	14 श्रीमती शशी बाला भार्गव (शिक्षक प्रतिनिधि)	श्री राधा रमन भार्गव	सदस्य	66, साउथ वेस्ट ब्लॉक, अलवर	अध्यापन कार्य
15 डॉ. अजय कुमार शर्मा (शिक्षाविद् प्रतिनिधि)	श्री सम्पत्त राम शर्मा	सदस्य	रजिस्ट्रार, महा.गांधी वि.वि.मैडी.साई. एण्ड टैक्नो., सीतापुरा, जयपुर	शिक्षाविद्	15 डॉ. अजय कुमार शर्मा (शिक्षाविद् प्रतिनिधि)	श्री सम्पत्त राम शर्मा	सदस्य	रजिस्ट्रार, महा.गांधी वि.वि.मैडी.साई. एण्ड टैक्नो., सीतापुरा, जयपुर	शिक्षाविद्

जगदीश प्रसाद (स) प्रधान

आर्य कन्या विद्यालय समिति

स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर

सूची फाइल की गई

दिनांक 17/3/2019 रजिस्ट्रार अलवर

आर्य कन्या विद्यालय समिति

स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर

कोषाध्यक्ष

आर्य कन्या विद्यालय समिति

स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर

ARYA PUBLIC SCHOOL
Maivya Nagar, ALWAR-301001
C.B.S.E., Affiliation No. 1730647
School Code No. 16500

ARYA PUBLIC SCHOOL MALVIYA NAGAR, ALWAR
SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

S.NO.	NAME OF MEMBER	DESIGNATION	Address	OCCUPATION
1	Sh. Jagdish Prasad Gupta	President, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	1/561, Kala Kuan Alwar	Advocate
2	Sh. Ashok Kumar Arya	Vice President, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	1, Ashok Circle, Alwar	Social Work
3	Sh. Pradeep Kumar Arya	Secretary, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	1, Ashok Circle, Alwar	Social Work
4	Er. Suresh Kumar Dargan	Joint Secretary, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	7A, Manumarg, Alwar	Rtd. Engineer
5	Sh. Pradyumn Kumar Garg	Treasurer, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	18, Vikas- Path, Alwar	Advocate
6	Smt. Kamala Sharma	Director, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	77, Panchwati, Alwar	Educationist
7	Dr. Rajendra Kumar Arya	Member, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	4/470, Kala Kuan, Alwar	Retired Doctor
8	Dr. Ajay Kumar Sharma	Member, Arya Kanya Vidyalaya Samiti	Reg. M. Gandhi Uni., Sitapura, Jaipur	Educationist
9	Smt. Nandini Jain	Principal, Member Secretary, Arya Public School Malviya Nagar	12, Bank Colony, Alwar	Educationist
10	Smt. Asha Gupta	Parent Member, Arya Public School Malviya Nagar	B-146, Malviya Nagar, Alwar	House Wife
11	Smt. Monika Sharma	Parent Member, Arya Public School Malviya Nagar	Sonava Ki Dungari, Alwar	Educationist
12	Miss Meenu Saini	Teacher Member, Arya Public School Malviya Nagar	Green Park Colony, Alwar	Educationist
13	Miss Rekha Sharma	Teacher Member, Arya Public School Malviya Nagar	Vivekanand Nagar, Alwar	Educationist
14	Smt. Manishi Mehru	Member of Other College Nominated by Society	F-12,22, Apna Ghar Shalimar, Alwar	Educationist
15	Smt. Manju Choudhary	Member of Other College Nominated by Society	Chetan Enclave, Alwar	Educationist
16	Sh. C.P. Paliwal	Principal of Other College Nominated by Board	3/330, Kala Kuan, Alwar	Educationist
17	Smt. Vimlesh Mishra	Principal of Other College Nominated by Board	336, S.W.B., Alwar	Educationist

Attested by

[Signature]

Principal

**Arya Public School
Malviya Nagar, Alwar**

**Principal
Arya Public School
Malviya Nagar, Alw**